शोध-सारांश

जलयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजना है। जलयुक्त शिवार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को सूखे से निजात दिलाना तथा कृषि के लिए योग्य बनाना है साथ ही जिन क्षेत्रों में किसान निम्न स्तर की वर्षा से जूझ रहे हैं उन क्षेत्रों में जल स्त्रोतों का कुशल प्रबंधन कर उन्हें सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना है।

जलयुक्त शिवार योजना की वास्विकता से तात्पर्य यह है कि योजना के सम्बन्ध में जो कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं उनकी वास्विकता क्या है? योजना ज़मीनी स्तर पर लागू हो पा रही है या नहीं ? योजना की वास्तविकता का आधार अब तक हो चुके कार्यों के भौतिक सत्यापन से निर्धारित किया गया है।

जलयुक्त शिवार योजना में जनसहभागिता का अर्थ है कि आम जनमानस का योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देना श्रमदान, आर्थिक सहयोग, जल अपव्यय को नियंत्रित करना तथा योजना के सम्बन्ध में जागरूकता को बढ़ावा देना।

प्रस्तुत शोध का शीर्षक "वर्धा जिले के आर्वी तहसील में जलयुक्त शिवार योजना की वास्तविकता, जनसहभागिता का अध्ययन एवं समाज कार्य हस्तक्षेप की संभावनाएं" है। महाराष्ट्र राज्य में वर्धा जिले के अंतर्गत आने वाली आर्वी तहसील प्रस्तुत अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र है। प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत 'जल युक्त शिवार योजना' की वास्तविकता तथा उसमें जनसहभागिता के अध्ययन का प्रयास किया गया है तथा ग्राम-पंचायत व स्थानीय निवासियों से प्राप्त डाटा के अध्ययन के आधार पर हस्तक्षेप के लिए रणनीति तैयार करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य को करने के लिए मिश्रित पद्धति (गुणात्मक एवं मात्रात्मक) का उपयोग किया गया है तथा शोध के उद्देश्यों के आधार पर यह शोध कार्य निदानात्मक शोध प्रारूप (Diagnostic Research Design) में आता है। प्रस्तुत शोध बहुचरण प्रतिचयन (Multiphase Sampling) पर आधारित है।

केस स्टडी के द्वारा जलयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की भूमिका का अध्ययन किया गया है तथा उसकी वास्तविकता के अध्ययन के लिए क्षेत्र में हो चुके कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया है। जलयुक्त शिवार योजना के प्रति जनमानस में जागरूकता एवं स्थानीय निवासियों की सहभागिता का अध्ययन किया गया है।

केस स्टडी से यह पाया गया कि जलयुक्त शिवार योजना में ग्राम पंचायतों की भूमिका को उस स्तर तक मज़बूत करने के प्रयास नहीं किये जा रहे हैं जिससे वह योजना के सम्बन्ध में अपनी सहभागिता को स्थापित कर सकें। क्षेत्र के पंचायतों में योजना की पूर्ण जानकारी का भी अभाव देखने को मिला है। जलयुक्त शिवार योजना के तहत किये गये

निर्माण कार्यों के बाद क्षेत्रों के जल स्तर, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, पीने के पानी की उपलब्धता में सुधार आया है परन्तु इन उपलब्धियों को हासिल करने में ग्राम पंचायतों की कोई सहभागिता नहीं रही है। योजना के क्रियान्वयन में पंचायतों को उचित स्थान नहीं दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप भविष्य में योजना के तहत हुए कार्यों को सतत रूप में बचाए रखने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा स्थानीय लोगों की आर्थिक निर्भरता सरकारों पर बनी रहेगी। जलयुक्त शिवार योजना के तहत हो रहे कार्यों में सरकारी संस्थाओं से ज्यादा क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका देखने को मिली है। जिससे यह सपष्ट होता है की सरकारी तंत्र गैर सरकारी तंत्रों की अपेक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में कमज़ोर है इसे सरकारी तंत्रों की अकर्मण्यता के रूप में भी देखा जा सकता है।

जलयुक्त शिवार योजना के विषय में स्थानीय निवासियों की जागरूकता एवं उनकी योजना के कार्यों में सहभागिता के अध्ययन से यह पाया गया है कि योजना के विषय में आर्वी तहसील के लोगों में जागरूकता का स्तर अंशतः है जबकि किसी योजना के मूल उद्देश्य में आम जनमानस का हित समाहित होता है यदि आम जनों में उनके हित कार्यों के विषय में जागरूकता नहीं है तो कोई योजना कभी भी अपने उद्देश्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति में सफल नहीं हो सकती। ग्राम सभा में नियमित रूप से शामिल होने लोग बहुत ज्यादा नहीं हैं कभी कभी शामिल होने वालों की संख्या सर्वधिक है जबकि किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए 73 वें संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में ग्राम-सभा के माध्यम से ग्राम योजना तैयार कर आवश्यक कार्यक्रमों को कराएं योजना की निर्देशिका में भी यह स्पष्ट किया गया है परन्तु इसका अभाव यह दर्शाता है कि क्रियान्वयन में लोगों की सहभागिता औसत है। निर्देशिका में दिए गये सभी जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी ढंग से किये जाने की आवश्यकता है।

RESEARCH SUMMARY

Jalyukt Shivar Scheme is launched by Maharashtra government. The main motive to launch this scheme is to make Maharashtra Drought free State by 2019 and to conserve water in rural areas for the farmers by which they can irrigate their fields.

Water reciprocity? Whether this scheme is being implemented at the gross root level or not? Based on reality of the scheme, the vulnerability of Jalyukt Shivart Scheme works that have been done so far, the progression in the field work of this scheme is determined by the physical verification.

Peoples's participation in Jalyukt Shivar Scheme means to support the implementation according to the people, to facilitate labor dilution economical benefits control on wastage and awareness to the scheme.

The title of the research presented is " A study on Reality & People's Participation in Jalyukt Shivar Scheme at Arvi tahsil of Wardha district and the possibilities of social work intervention". Arvi tehsil, which is under Wardha district in Maharashtra state, is a geographical area of study. Attempts have been made to study the reality of ' Jalyukt Shivar scheme ' and the public participation in it under research work and efforts have been made to formulate strategies for intervention based on the study of data received from village panchayat and local residents. Composite method (qualitative and quantitative) has been used to perform the research work, and the research work comes in the Diagnostic Research Design based on research objectives. The research is based on multiphase sampling.

It was found in the case study that efforts are being made to strengthen to role of village Panchayat in Jalyukt Shivar Scheme, lack of awareness has also been noticed under this governmental water conservation scheme.

After the progression in scheme this things has been improved, water level, availability of water for irrigation, availability of drinking water. Their in no participation of gram Panchayat in achieving these achievements. Panchayats are not being given proper place in the implementation of the scheme and as a result their will be difficulty keeping the work done under the scheme in the future and the financial dependence of the local people will remain of the governments. The role of non-governmental organizations has been seen in more areas rather then governmental organizations.

The study of participation in the awareness of the local residence and the acitivities of their scheme regarding Jalyukt Shivar Scheme and also it has been found that the level of awareness among the people of Arvi tehsil whereas in the original purpose of any scheme in the interest of common people and if the common mass does not have awareness about their interest, then no plan will ever take over its objectives. Joining the people regularly at the remote areas are not too much, some time it depends on no. of people join globally. In the 73 amendment, the Gram Sabha were given the rights to form a village plan and help them to improve their programs. It has been clarified that the lack of participation of people in the implementation is going on average scale. All awareness programs given in the directory are required to be done more effectively.